

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक 440 / 2016

संस्थित दिनांक 16.06.2016

फाईलिंग नंबर 3005082016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-- -- --**अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1. येतलाल पिता अकलसिंह मरावी, उम्र 30 वर्ष,
  2. अकलसिंह पिता साउ मरावी, उम्र 50 वर्ष,
  3. रामबतीबाई पति अकलसिंह, उम्र 45 वर्ष,
- सभी निवासी ग्राम नारना थाना बैहर जिला बालाघाट।

-- -- -- --**आरोपी**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक 09 / 03 / 2018 को घोषित)**

**01-** अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 19.03.2016 एवं उसके पूर्व से थाना बैहर अंतर्गत ग्राम नारना में फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी यशवंता मेरावी द्वारा दिनांक 06.03.16 को थाना बैहर आकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें लेख है कि उसके विवाह को लगभग नौ वर्ष हो चुके हैं, आरोपीगण द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है तथा पुत्री प्राप्ति उपरांत उसे और अधिक परेशान किया जाता है। दिनांक 29.02.16 की रात्रि आरोपीगण द्वारा उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। वर्ष 2014 में उसके ससुराल में ससुर अकलसिंह, सास रामबती की उपस्थिति में दामाद(ज्ञानसिंह) ग्राम कोटजा के निवासी थे, जिनकी फांसी लगाकर मृत्यु हुई

थी तथा उसे भी जान से मारने की धमकी दी जाती रही है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा-498ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थिया एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये हैं। आरोपीगण का उपस्थिति पंचनामा तैयार कर आरोपीगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र दिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 88/16 दिनांक 11.06.16 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए, 34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक 19.03.2016 एवं उसके पूर्व से थाना बैहर अंतर्गत ग्राम नारना में फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी के पति व पिता के नातेदार हाते हुए फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :-

**05-** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। आरोपी येतलाल उसका पति है। आरोपी अकलसिंह उसके ससुर एवं रामबतीबाई सास है। उसके विवाह को 09 वर्ष हो चुके हैं। ससुर उसे विवाह के बाद से ही परेशान करने लगे थे। दहेज की मांग को लेकर उसके

सास-ससुर उससे विवाद करते थे। दहेज में उसे पैसे को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा बच्चे नहीं हुये इस बात को लेकर भी उसे ताने देते रहते थे। आरोपीगण उसे मादरचोद, माँ-बहन की गाली देते थे और दूसरी शादी करने की बात करते थे। आरोपीगण उससे दहेज में 50 हजार रुपये की मांग करते थे एवं खाने-पीने का पूरा सामान अपने मायके से लेकर आने कहते थे।

**06—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 के अनुसार आरोपीगण उसे बार-बार मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते थे। उसे आरोपी से एक पुत्री है। उसे आरोपी येतलाल इस बात को लेकर प्रताड़ित करता था कि उसे लड़की हुई है बेटा पैदा नहीं हुआ है अब उनके कुल का दीपक कैसे जलेगा। उसके द्वारा थाना प्रभारी बैहर को एक लिखित आवेदन दिया गया था, जो प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके लिखित आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो प्रपी.02 है। पुलिस वालों ने प्रपी.02 के दस्तावेज में उसके हस्ताक्षर नहीं लिये थे। उसने पुलिस को बयान दिया था।

**07—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना क्या होती है, इसका अर्थ नहीं समझती है। उसने पुलिस में लिखित रिपोर्ट प्रपी.01 में तारीख लिखी थी। उसने अपने लिखित आवेदन प्रपी.01 में दिनांक 01 मार्च लिखी थी, यदि वह आवेदन में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने अपने आवेदन में 01 मार्च तारीख नहीं लिखी थी, प्रपी.01 के आवेदन में तारीख 29.02.16 लिखी है वह गलत है। वह आठवीं तक पढ़ी-लिखी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदन वह मायके से लिखकर लाई थी। उसने प्रपी.01 के आवेदन में एवं पुलिस बयान में आरोपीगण द्वारा मादरचोद, माँ-बहन की गालियाँ देते थे, बार-बार मारपीट कर घर से निकाल देते थे एवं बेटा हुआ तो घर के कुल का दीपक नहीं जलेगा की बात

लिखाई थी, यदि यह बात प्रपी.01 में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती।

**08—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उपरोक्त बातें वह न्यायालय में पहली बार बता रही है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसे बच्चे नहीं होते थे तो उसके पति ने इस संबंध में नैनपुर, ग्राम इंदरी एवं ग्राम भादा में उसका ईलाज भी करवाया था। साक्षी के अनुसार उसके मायके वालों ने भी बहुत मदद की थी। उसके साथ दिनांक 29 मार्च 2016 को मारपीट हुई थी। उसी दिनांक को वह अपने मायके आ गयी थी और सुबह वह बैहर थाना आ गई थी। थाने से उसने अपने भाई को बुलाई थी और अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। साक्षी के अनुसार उसने एक मार्च को थाना बैहर में रिपोर्ट लिखाई थी। उसका पुलिस थाने में कोई बयान नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। वह शत प्रतिशत निश्चित तौर पर बता रही है कि मारपीट के बाद वह थाने आई थी और कहीं नहीं गई थी। उसकी लिखित रिपोर्ट प्रपी.01 तथा पुलिस बयान प्रपी.02 में मारपीट के बाद सीधे थाने आने वाली बात और मायके जाने वाली बात नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। वह 29 मार्च के पहले कभी थाने नहीं गई थी और ना ही आरोपीगण के विरुद्ध कभी रिपोर्ट लिखाई थी।

**09—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने जो अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिये परेशान करते थे, उक्त बातों के संबंध में उसने आरोपीगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी, उसने अपने पुलिस बयान में आरोपीगण के द्वारा शादी के तुरंत बाद से परेशान करने वाली बात नहीं लिखाई है, आरोपी के माँ-बाप से तीन साल से उसकी बातचीत नहीं होती है। साक्षी के अनुसार शुरू से उसकी आरोपी के माँ-बाप से बातचीत नहीं होती है।

**10—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह अपनी बेटी को अपने सास-ससुर को खिलाने नहीं देती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उसे परेशान किया जाता है, इस संबंध में उसने ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के किसी पंचायत में न तो शिकायत करवायी और ना ही कभी कोई बैठक रखवायी थी। सास-ससुर उसे जहर देकर मारने की बात करते थे।

**11—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जहर देकर मारने वाली बात उसकी रिपोर्ट प्रपी.01 एवं पुलिस बयान में नहीं लिखी है, आरोपीगण उसे धमकी नहीं देते थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को बिना बताये अपने मायके अपने भाई के साथ चली जाती थी। परिवार परामर्श केन्द्र में उसने किस तारीख को शिकायत की थी उसे नहीं मालूम। साक्षी के अनुसार वह कागज उसके पास है और उस कागज को खोलकर वह तारीख बता रही है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण की रिपोर्ट एवं परिवार परामर्श केन्द्र में की गई शिकायत के कागज वह पहले से ही पढ़ रही है और आज भी पढ़कर आयी है, वह कागज को पढ़कर आयी है, इसलिये मुख्यपरीक्षण में अच्छे तरीके से बयान दे पायी है, उसके साथ उसके भाई एवं उसके पिता है, वह भी उक्त कागज को पढ़कर आये है, आरोपीगण की रिपोर्ट करने से पहले उसने, उसके माँ-बाप एवं भाई से सलाह की थी। उसने सलाह-मशविरा करने के बाद ही लिखित रिपोर्ट थाने में दी थी और पुलिस को बयान दी थी।

**12—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने जो अपने मुख्यपरीक्षण में यह बात बतलाई है कि आरोपी उसे दूसरी शादी करने वाली बात कहता है वह बात उसने अपनी रिपोर्ट प्रपी.01 एवं पुलिस बयान में नहीं बतायी है, उक्त बातें वह पहली बार न्यायालय में बता रही है, उसे जब पुत्री हुई थी तो उसका बारसा ससुराल में धूम-धाम से हुआ था और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बारसा मनाये थे,



उसे बहुत सालों बाद संतान होने से वह, उसके ससुराल वाले एवं मायके वाले बहुत खुश थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह जो बेटी होने की ताना मारने वाली बात बता रही है वह सही नहीं बता रही है। वह जो कागज अपने साथ न्यायालय में लाई है उसमें वही लिखा है जो उसने अपने मुख्यपरीक्षण में बतायी है उस कागज में आरोपीगण द्वारा 50 हजार रुपये मांगने वाली बात लिखी है, इसलिये उसने आज बताई कि आरोपीगण उससे 50 हजार रुपये की मांग किये थे।

**13—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे न्यायालय के अंदर बयान देने से पहले उसके पिता एवं भाई ने अच्छे से समझाया था कि आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात, 50 हजार रुपये मांगने वाली बात एवं बेटी होने पर ताना देने वाली बात जरूर बतलाना तभी आरोपीगण के विरुद्ध केस बनेगा, उसके पिता एवं भाई उसके साथ आये है जो न्यायालय के बाहर खड़े है, उसके द्वारा प्रपी.01 के दस्तावेज में दिनांक 29 फरवरी 2016 आरोपीगण द्वारा जान से मारने की कोशिश करने वाली बात लिखी है वह गलत है।

**14—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह स्वयं ही आरोपी के परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिये आरोपी को अलग रहने के लिये बोलती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी अपने माँ-बाप का अकेला लड़का है और कहता था कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर अलग नहीं रहेगा, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी येतलाल के अलग नहीं रहने के कारण वह स्वयं ही उसे धमकी देती थी कि वह स्वयं जहर खा लेगी और अपनी बेटी को भी खिला देगी। पुलिस ने उसका जो बयान लिया था उसे उसने पढ़ा नहीं था और पुलिस ने पढ़कर भी नहीं बताया था।

**15—** साक्षी यशवंताबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसमें क्या-क्या बातें लिखी थी उसे नहीं मालूम, उसने आरोपी येतलाल के जीजा द्वारा फांसी लगाने की बात परामर्श केन्द्र में भी लिखकर दी थी, इसलिये उक्त बात उसने प्रपी.01 में लिखवायी थी, आरोपी येतलाल के जीजा द्वारा फांसी लगाने की बात प्रपी.01 में लिखवाने की सलाह उसके भाई विनोद एवं उसके पिता ने दी थी और कहा था कि यह जरूरी है, इसलिये इसे लिखवा दो। साक्षी के अनुसार इसी प्रकार आरोपी व उसके सास-ससुर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे आरोपीगण जान से मारने की धमकी नहीं देते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि धमकी देते तो वह इसके पहले भी रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध लिखा देती, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है, आरोपी उसे लेकर अलग नहीं हुआ तो उसने झूठी रिपोर्ट लिखायी थी, आरोपीगण ने उसे दहेज को लेकर कभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान नहीं किया है तथा आरोपीगण ने उससे 50 हजार रुपये की मांग नहीं की थी।

**16—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी को पहचानता है। प्रार्थी उसकी बहन है। उसे उसकी बहन यशवंता मरावी ने मोबाईल से फोन कर बताया कि उसे सास-ससुर एवं उसका पति परेशान करता है कि बेटा हुई है, अपने घर से अनाज लेकर आ और खुद की एवं अपनी बच्ची की परवरिश स्वयं कर कहकर प्रताड़ित करते थे। तब वह उसके घर 01 मार्च को सुबह ग्राम नारना गया और अपनी बहन से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बतायी कि उसका पति एवं सास-ससुर कहते हैं कि यहाँ से चली जा नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगे की धमकी दिये थे फिर वह तुरंत अपनी बहन को लेकर बैहर थाने उसी दिनांक को लेकर आया था। उसने बैहर थाने में घटना को लेकर आवेदन दिया था और उसकी बहन ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके

बयान ली थी।

**17—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 29.02.2016 को उसकी बहन का उसे फोन आया था, उसकी बहन ने उसे बताया था कि आरोपीगण उसे शरीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, बैहर थाना आने के बाद 02 मार्च 2016 को वह परामर्श केन्द्र चला गया था, परामर्श केन्द्र के आधार पर ही उन्होंने अपनी बहन को ससुराल भिजवाये थे। साक्षी के अनुसार परामर्श केन्द्र में दिनांक 01.02.16 को फैसला हो गया था और उन्होंने उसके बाद अपनी बहन को ससुराल भिजवाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन को आरोपीगण 50 हजार रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हैं बताया था। उसकी बहन ने उसे बताया था कि आरोपी दूसरी शादी करने की बात करता है, आरोपीगण गाली देकर मायके से पैसे लाने की बात कहते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 29.02.16 को जो उसकी बहन यशवंताबाई का मोबाईल से फोन आया था और जो बातें आरोपी पति येतलाल और सास-ससुर के बारे में बतायी थी वहीं बात उसने अपने पुलिस कथन में बताया था।

**18—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण में बतायी यह बात कि वह अपनी बहन को नारना से लेकर बैहर पुलिस थाने आया था और उसने आवेदन दिया और उसकी बहन ने रिपोर्ट दर्ज की उक्त बात उसके पुलिस बयान में नहीं लिखी है। साक्षी के अनुसार आवेदन उसने नहीं दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन ने जो आवेदन दिया था, उस आवेदन में 01 मार्च 2016 की तारीख डली थी एवं थाने की सील लगी थी। उसने थाने से उसकी फोटोकापी ले लिया था। यह स्वीकार किया है कि जो आवेदन उन्होंने दिया था, उसी आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण बना है। साक्षी के अनुसार लिखित आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण बना था। यह स्वीकार



किया है कि प्रपी.01 का जो आवेदन है वो आवेदन वो नहीं है जो उसकी बहन ने थाने में दी थी। साक्षी के अनुसार उसकी बहन ने जो आवेदन थाने में दी थी उसकी फोटोकापी उसके पास है, जिसे वह आज लेकर न्यायालय में आया है। साक्षी ने अब कहा कि प्रपी.01 का आवेदन वह नहीं है।

**19—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि पुलिस थाना बैहर में उसकी बहन ने जो आवेदन दिया था और परिवार परामर्श केन्द्र में जो आवेदन दिया था उसमें वो सारी बातें लिखी है जो उसने अपने मुख्यपरीक्षण में लिखाया है जो दोनों आवेदन उसने अपने साथ लेकर आया है और उसे उसने अच्छे से पढ़ लिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह नारना कई बार गया है और उसे मोहल्ले पड़ोस वालों ने कभी भी उसकी बहन के साथ ऐसी घटना घटी नहीं बताये थे। साक्षी के अनुसार उसकी बहन ने जो बतायी थी वही बता रहा है। उसकी बहन परिवार परामर्श केन्द्र से सुलह होने के बाद किस तारीख को ससुराल गई उसे नहीं मालूम। उसकी बहन ने दिनांक 01.03.16 को रिपोर्ट लिखाई थी। यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट दिनांक 01.03.16 का कोई दस्तावेज प्रकरण में नहीं लगा है। साक्षी के अनुसार उसकी बहन द्वारा दिनांक 01.03.16 का लिखित आवेदन दिया गया था।

**20—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसकी बहन ने दिनांक 01.03.16 को कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, इसलिये वह दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है, दिनांक 29.02.16 को उसकी बहन ने उसे फोन नहीं किया था, वह दूसरे दिन सुबह उसके ग्राम नारना नहीं गया था, उसने अपनी बहन से घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी, उसकी बहन ने उसे बतलाई थी कि उसके ससुराल वाले कहते हैं कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगे, उसकी बहन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे, दिनांक 02 मार्च 2016 को परामर्श केन्द्र नहीं गया था, परिवार परामर्श केन्द्र के समझौते के

आधार पर उसे उसके ससुराल नहीं भेजा था, उसकी बहन से आरोपीगण ने 50 हजार रुपये की मांग नहीं की थी, उसकी बहन ने नहीं बताया था कि आरोपीगण दूसरी शादी करने की बात करते हैं।

**21—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बैहर थाना आने के बाद परिवार परामर्श केन्द्र चला गया था और परिवार परामर्श केन्द्र के आधार पर ही अपनी बहन को ससुराल भेजा था उक्त बातें उसके पुलिस बयान में नहीं लिखी हैं। साक्षी के अनुसार उसने पुलिस को मौके पर मौखिक बताया था। यह स्वीकार किया है कि यदि वह उक्त बातें पुलिस बयान में बताता तो उक्त बातें पुलिस बयान में लिखी रहती। प्रपी.01 का जो लिखित आवेदन है वो उसकी हस्तलिपि में है जो उसे उसकी बहन ने बताया था और उसने घटना लिखा था। ऐसा नहीं हुआ था कि 19 मार्च 2016 को उन्होंने बैहर थाने में रिपोर्ट की थी। ऐसा भी नहीं हुआ था कि दिनांक 06.03.16 को उन्होंने परिवार परामर्श केन्द्र बालाघाट में आरोपीगण की शिकायत हेतु आवेदन दिया था।

**22—** साक्षी विनोद कुमार अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी.02 के दस्तावेज में यदि रिपोर्ट लिखाने का दिनांक 19.03.2016 समय 6:36 लिखा हो तो वह गलत है, प्रपी.01 के दस्तावेज के ऊपर नीली स्याही से लोक शिकायत 34/2016 दिनांक 06.03.2016 एवं 62/19.03.2016 लिखा है तो वह गलत है, क्योंकि इन दिनाकों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है पुलिस वालों ने या किसने क्यों लिखा उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रपी.01 का आवेदन थाने में दिया ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उसकी बहन का कभी भी कोई मुलाहिजा करवाया हो। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी बहन के साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की थी, इसलिये पुलिस वालों ने उसकी बहन का कोई मुलाहिजा नहीं करवाया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसकी बहन ने उसे चोट होना नहीं बताई थी, उन्होंने आरोपीगण को

फंसाने के लिये झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है, उसकी बहन को आरोपीगण ने कभी दहेज या अन्य किसी बात के लिये परेशान नहीं किया है।

**23—** साक्षी गोपालसिंह अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। 01 तारीख को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये थे। उसकी पुत्री ने घर आकर बताई कि उसका पति येतलाल उसका गला दबा रहा था। आरोपी येतलाल जब भी उसके घर आता था तो पैसे की मांग करता था एवं उसकी पुत्री को परेशान करता रहता था। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसकी पुत्री यशवंती का विवाह आरोपी येतलाल के साथ वर्ष 2007 में सामाजिक जाति रीति रिवाज अनुसार हुआ था। उसे आज नहीं मालूम कि उसकी पुत्री ने दिनांक 29.02.2016 को फोन कर उसके लड़के विनोद को कुछ बताया था।

**24—** साक्षी गोपालसिंह अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसकी लड़की को हमेशा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौच करता था, उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी येतलाल और उसके घरवाले घर से निकाल देना कहकर तंग करते थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 29.02.2016 को यशवंताबाई ने उसके पुत्र विनोद को मोबाईल पर बताया था कि आरोपी येतलाल, सास रामबतीबाई, ससुर अकलसिंह ने कहा था कि उसने दहेज में कुछ नहीं लाई है कहकर मारपीट किये थे, उसकी लड़की को आरोपीगण खाना-पीना नहीं देते थे, आरोपीगण मकान के लिये मायके से 50 हजार रुपये लेकर आ कहते हुये खाना-पीना कौन करेगा कहते थे, दिनांक 29.02.16 को सास-ससुर ने शराब पीकर आरोपी येतलाल से बोले कि उसकी घरवाली छिनाल है पैसे नहीं लाती है इसको घर से निकाल दो उसकी दूसरी शादी करा देंगे कहकर घर से तीनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था, आरोपीगण द्वारा उसकी लड़की को शारीरिक व

मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी लड़की को कई बार समझाते थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी. 03 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**25—** साक्षी गोपालसिंह अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में लिखवाई हुई यह बात कि 01 तारीख को ..... परेशान करता रहता था, तक की बात आज न्यायालय में पहली बार बता रहा है, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसने आरोपी के विरुद्ध सोच समझकर रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी के अनुसार आरोपी परेशान करता था, इसलिये रिपोर्ट करवायी थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी के परेशान करने वाली बात वह झूठी बतला रहा है, उन्होंने आरोपीगण को फंसाने की गरज से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है, आरोपीगण ने उसकी पुत्री को कभी दहेज के लिये परेशान नहीं किया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध करने के पूर्व कहीं और रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी है।

**26—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उसकी पुत्री का विवाह जाति रीति-रिवाज अनुसार वर्ष 2007 में आरोपी येतलाल के साथ हुआ था। उसकी लड़की की जब से शादी हुई तब से उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ है। आरोपी येतलाल, सास-ससुर शराब पीकर उसकी लड़की को मारपीट करते हैं। उसकी लड़की ने मायके आकर बताई थी कि सास एवं ससुर ताने मार रहे हैं। वह उसकी लड़की को कई बार ससुराल में छोड़कर आती थी। उसकी लड़की शादी के दो साल तक ठीक रही उसके बाद से उसकी लड़की को उसका पति मारपीट कर परेशान करता रहता था। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं ली थी।

**27—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे



जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसकी पुत्री यशवंती का विवाह आरोपी येतलाल के साथ वर्ष 2007 में सामाजिक जाति रीति-रिवाज अनुसार हुआ था। उसे नहीं मालूम कि उसकी पुत्री ने दिनांक 29.02.16 को फोन कर उसके लड़के विनोद को कुछ बताई थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि आरोपी उसकी लड़की को हमेशा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौच करते थे, उसकी लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी येतलाल और उसके घरवाले घर से निकाल देना कहकर तंग करते थे।

**28—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 29.02.2016 को यशवंताबाई ने उसके पुत्र विनोद को मोबाईल पर बतायी थी कि आरोपी येतलाल, सास रामबतीबाई, ससुर अकलसिंह ने कहा था कि उसने दहेज में कुछ नहीं लाई है कहकर मारपीट किये थे, उसकी लड़की को आरोपीगण खाना पीना नहीं देते थे, आरोपीगण मकान के लिये मायके से 50 हजार रुपये लेकर आ कहते हुये खाना-पीना कौन करेगा कहते थे, दिनांक 29.02.2016 को सास-ससुर ने शराब पीकर आरोपी येतलाल से बोले कि उसकी घरवाली छिनाल है पैसे नहीं लाती है इसको घर से निकाल दो उसकी दूसरी शादी करा देंगे कहकर घर से तीनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था, आरोपीगण द्वारा उसकी लड़की को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी लड़की को कई बार समझाते थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-04 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**29—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बतलाई गई यह बात कि उसकी लड़की को जब से..... परेशान करता रहता था, तक की बातें आज वह न्यायालय में पहली बार बता रही है। इसके पूर्व उसने उपरोक्त बातें किसी को भी नहीं बताई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इसके पूर्व में उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध कहीं भी रिपोर्ट नहीं लिखाये है, किन्तु यह अस्वीकार



किया है कि रिपोर्ट लिखाने उसका पुत्र विनोद गया था।

**30—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उन्होंने सोच विचार कर सलाह-मशविरा कर लिखाये थे, उसकी पुत्री ज्यादातर अपने मायके में ही रहना पसंद करती थी, वह आरोपी येतलाल को अपने घर में घर जवाई बनाकर ही रखना चाहते थे, आरोपी येतलाल घर जवाई बनकर उनके साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिये उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध सलाह-मशविरा कर रिपोर्ट की थी।

**31—** साक्षी मनीयाबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, आरोपी उसकी लड़की को दहेज की मांग को लेकर हमेशा मारपीट करते रहते थे, उसकी लड़की ने उसे बतलाया था कि आरोपी येतलाल एवं घरवाले उसे घर से निकाल देना कहकर तंग करते रहते थे।

**32—** साक्षी रंजनसिंह तेकाम अ.सा.05 ने कथन किया है वह आरोपीगण येतलाल मरावी, अकलसिंह, रामवतीबाई को गांव का सरपंच होने के कारण पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो-तीन माह पूर्व सुबह 9:00 बजे की होगी। येतलाल की पत्नि उसे कोलियाटोला मोहल्ले में मिली थी और उसने उससे कहा था कि उसका विवाद उसके पति से हुआ था और आरोपीगण ने मारपीट की है, इसलिए वह उसके विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगी। उसने उसे समझाया था कि परिवार की बात है, इसलिए रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने उससे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए थे, मौका-नक्शा प्रदर्श पी-5 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**33—** साक्षी रंजनसिंह तेकाम अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न

पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि फरियादी यशवंता ने उसे बताई थी कि आरोपीगण 50 हजार रुपये की मांग दहेज के रूप में कर रहे थे, आरोपीगण ने उपरोक्त कारण से मारपीट कर घर से फरियादी को निकाल दिया था, घटना दिनांक को मारपीट होने के बाद फरियादी यशवंता रात भर उसके घर रुकी थी, इसलिए उसे घटना के विषय में जानकारी है, पुलिस ने कार्यवाही के समय मौका-नक्शा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 "दिनांक 29.02.2016.....रुकवाया था" पढ़कर सुनाए जाने पर उसने यह कथन पुलिस को नहीं लिखवाए, पुलिस ने कैसे लिख लिए कारण नहीं बता सकता, वह आरोपीगण को बचाने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुख्यपरीक्षण में उसने मारपीट व अन्य बात बताई है वह न्यायालय में पहली बार बता रहा है। मौका-नक्शा प्रदर्श पी-5 पर पुलिस ने क्या लिखा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

**34—** साक्षी जोहरलाल अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह फरियादी यशवंताबाई को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी येतलाल, रामबतीबाई और अकलसिंह मरावी को गिरफ्तार किया था, जो प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, प्रदर्श पी-7, 8 व 9 के दस्तावेजों में क्या लिखा था, पुलिसवालों ने उसे पढ़कर नहीं बताया था। पुलिसवालों ने उससे कहा कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिया था।

**35—** साक्षी संतूराम अ.सा.07 ने कथन किया है वह आरोपीगण को जानता है, जो उसके पड़ोसी हैं। वह फरियादी यशवंताबाई को भी जानता है। पुलिस ने 6-7 माह पूर्व उसके समक्ष आरोपी येतलाल, रामबतीबाई और

अकलसिंह मरावी को गिरफ्तार किया था, जो प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-9 है, जिसके बी से बी भाग पर उसने अंगुठा लगाया था।

**36—** साक्षी संतूराम अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था। वह आरोपीगण की जमानत लेने बस आया था, तभी उसने अंगुठा लगाया था। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-7, 8 व 9 के दस्तावेजों में क्या लिखा था पुलिसवालों ने उसे पढ़कर नहीं बताया था। पुलिसवालों ने उससे कहा कि अंगुठा लगा दो तो उसने लगा दिया था।

**37—** साक्षी संतु अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण तथा फरियादी यशवंताबाई को जानता है। घटना एक वर्ष पूर्व की है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी येतलाल, रामबतीबाई और अकलसिंह मरावी को गिरफ्तार किया था, जो प्र.पी.07 लगायत प्रदर्श पी-09 है, जिस पर उसके अंगुठा निशानी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, प्र.पी.07 लगायत प्रदर्श पी-09 के दस्तावेजों में क्या लिखा था, पुलिसवालों ने उसे पढ़कर नहीं बताया था, उसने पुलिसवालों के कहने पर कोरे कागजों पर अंगुठा लगा दिया था।

**38—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने कथन किया है वह दिनांक 19.03.2016 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही आवेदिका यशवंताबाई की एक लिखित शिकायत धारा-498ए भा.द.वि. के तहत आरोपी पति येतलाल, ससुर अकलसिंह, सास रामबतीबाई के विरुद्ध दी थी, जिसमें आरोपीगण द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई थी तथा दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया था। अपराध क्रमांक 62/16 धारा-498ए सहपठित धारा-34 के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आवेदन पत्र प्र.पी-01 है, जिसमें आवेदिका के हस्ताक्षर

है। प्रपी-02 प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.03.2016 को लेख कराई थी, जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**39—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 20.03.2016 को 13:00 बजे साक्षी रंजन टेकाम की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.05 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी यशवंती मरावी, साक्षी विनोदसिंह, गोपाल मरकाम, मनियाबाई एवं रंजनसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 07.04.2016 को येतलाल मरावी, रामबतीबाई एवं अकलसिंह मरावी का अभिरक्षा पत्रक समक्ष गवाह जोहरलाल मरावी एवं संतुसिंह कुसरे के समक्ष तैयार किया था, जो प्रपी-07 लगायत प्रदर्श पी-09 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं डी से डी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

**40—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 07.04.2016 को न्यायालय उपस्थिति हेतु आरोपीगण को सूचना पत्र दिया था, जो प्रपी-10 लगायत प्रदर्श पी-12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

**41—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका ने उसे दिनांक 06.03.2016 को थाने में आवेदन दी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आवेदिका ने अपने आवेदन प्रपी-01 में तारीख 01 मार्च 2016 लिखी थी। साक्षी के अनुसार कोई तारीख नहीं लिखी थी। प्रपी-01 में शीर्ष पर उक्त आवेदन प्राप्ति के पहले की तारीख उसके मोहररि ने लिखी थी। उसने जुर्म दिनांक 19.03.2016 को पंजीबद्ध किया था। साक्षी के अनुसार अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण दिनांक 06.03.2016 को जुर्म दर्ज नहीं कर पाया था।

**42—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन

सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण के किसी भी दस्तावेज में यह नहीं लिखा है कि आवेदन देने की दिनांक से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तक वह इस प्रकरण में जांच करता रहा, उसने प्रपी-02 के कॉलम नंबर 03 के भाग बी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 19.03.2016 लेखबद्ध की है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने आर्थिक लाभ प्राप्त करने व आरोपीगण से अपनी तरफ से मामला रफा-दफा करने की बात की थी, परंतु वह नहीं माने इसलिये उसके द्वारा दिनांक 19.03.2016 को झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

**43—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गवाहों के सामने उसने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था, प्र.पी.07 से लगायत प्रदर्श पी-09 के दस्तावेजों में उसने गवाहों के कोरे कागज पर अंगुठा लगवाये थे, उन दस्तावेजों में क्या लिखा था वह गवाहों को पढ़कर नहीं सुनाये थे, मौका-नक्शा प्र.पी.05 की जानकारी उसके द्वारा गवाह को नहीं दी गई थी मात्र उसके द्वारा उसके हस्ताक्षर लिये गये थे, प्र.पी.02 की रिपोर्ट उसने अपने मन से लेख की थी, प्र.पी.02 में लिखित तथ्य को पीड़िता द्वारा नहीं बताया गया था, उसके द्वारा बिना मामले की जांच की सत्यता के आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया था, उसने गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया था, प्र.पी.01 का दस्तावेज पीड़िता द्वारा उसे नहीं दिया गया था।

**44—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.02 के आवेदन में रिपोर्ट लिखाने का दिनांक 19.02.2016 समय 6:36 लिखा हो तो इससे पीड़िता का कोई लेना-देना नहीं है, प्र.पी.01 के दस्तावेज के ऊपर नीली स्याही से लोक शिकायत क्रमांक 34 / 2016 दिनांक 06.03.2016 एवं 62 / 19.03.2016 लिखा हो



तो उससे भी पीड़िता या उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.01 का आवेदन पीड़िता या उसके परिवार वालों द्वारा थाने में नहीं दिया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पीड़िता का मुलाहिजा नहीं करवाया था, यदि पीड़िता के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की जाती और मारपीट की सूचना पीड़िता द्वारा तथाकथित दिनांक को दी जाती तो उसका मुलाहिजा उनके द्वारा करवाया जाता।

**45—** साक्षी लखनलाल भिमटे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पीड़िता व उसके परिवारवालों से मिलकर झूठा प्रकरण तैयार किया गया है, यदि वास्तव में वह मामले की सही तरीके से विवेचना करते तो आरोपीगण के विरुद्ध इस प्रकार का कोई मामला ही नहीं बनता, उसने मामले की सत्यता के संबंध में आरोपीगण के आस-पड़ौस में रहने वालों से भी पूछताछ नहीं की थी, इस कारण भी मोहल्ले पड़ौस वालों को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया है, यदि पीड़िता के साथ वास्तव में आरोपीगण द्वारा दहेज संबंधी मारपीट की जाती तो प्रकरण के अन्य गवाह इस बात का समर्थन करते।

**46—** प्रकरण की साक्ष्य के सूक्ष्मता से अवलोकन पर दर्शित है कि प्रकरण में स्वयं परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस कथन के विपरीत कथन किये गये हैं। परिवादी यशवंता अ.सा.01 ने पुलिस रिपोर्ट तथा मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण पुत्री होने के कारण उसे प्रताड़ित करते थे, जबकि प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके बच्चे नहीं होने पर पति द्वारा विभिन्न स्थानों पर उसका ईलाज करवाया गया था तथा पुत्री होने पर ससुराल में सभी ने धूम-धाम से बारसा कार्यक्रम मनाया था। इसी प्रकार परिवादी के पिता गोपालसिंह अ.सा.03, माता मनियाबाई अ.सा.04 तथा भाई विनोद अ.सा.02 ने पुत्री होने के कारण प्रताड़ना के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किये हैं।

**47—** जान का खतरा होने के संबंध में भी परिवादी यशवंता अ.सा.01 द्वारा मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया गया है और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि लिखित शिकायत प्र.पी.01 में येतलाल के जीजा द्वारा फांसी लगाने वाली बात लिखवाने की सलाह उसके पिता तथा भाई ने जरूरी होने के कारण दी थी और यदि आरोपीगण द्वारा धमकी दी जाती तो वह पूर्व में ही रिपोर्ट लिखा देती। कंडिका क्रमांक 05 में परिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण उसे धमकी नहीं देते थे। उक्त तथ्य के संबंध में भी परिवादी के माता-पिता द्वारा कोई कथन नहीं किये गये हैं तथा परिवादी के भाई विनोद अ.सा.02 द्वारा भी मात्र औपचारिक कथन किये गये हैं।

**48—** दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के संबंध में परिवादी यशवंता अ.सा.01 के कथन का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट है कि उसके द्वारा संपूर्ण परीक्षण में विरोधाभासी कथन किये गये हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 07 में परिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसे पिता तथा भाई द्वारा समझाया गया था कि मारपीट, 50,000/- रुपये की मांग तथा बेटी होने पर ताना देने वाली बात बतलाने पर ही आरोपीगण के विरुद्ध केस बनेगा। कंडिका क्रमांक 04 में परिवादी के कथन है कि दहेज प्रताड़ना के संबंध में उसने आरोपीगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी। परिवादी के भाई विनोद अ.सा.02, पिता गोपालसिंह अ.सा.03 तथा माता मनियाबाई अ.सा.04 द्वारा भी 50,000/- रुपये की मांग के संबंध में न्यायालय में कोई कथन नहीं किये गये हैं। साक्षी विनोद अ.सा.02 ने अनाज की मांग के संबंध में कथन किया है, जबकि गोपालसिंह अ.सा.03 ने पैसे की मांग के संबंध में औपचारिक कथन किये हैं। इनके विपरीत परिवादी की माँ मनियाबाई अ.सा.04 ने किसी विशिष्ट मांग के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। आरोपीगण की प्रताड़ना और मारपीट के संबंध में परिवादी ने कोई विशिष्ट कथन नहीं किये हैं, जबकि विनोद अ.सा.02 तथा विवेचक लखनलाल भिमटे अ.सा.07 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई थी अन्यथा परिवादी का मुलाहिजा करवाया जाता।

**49—** प्रकरण में परिवादी यशवंता अ.सा.01, भाई विनोद अ.सा.02, पिता गोपालसिंह अ.सा.03 तथा माता मनियाबाई अ.सा.04 के कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त साक्षियों ने अभियोजन कहानी के विपरीत परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। एक तरफ मुख्य परीक्षण में परिवादी यशवंता अ.सा.01 द्वारा शादी के बाद से ही आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग हेतु आरोपीगण द्वारा परेशान किये जाने के कथन किये गये हैं। दूसरी तरफ प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 04 में स्वीकार किया गया है कि उसकी शुरु से सास-ससुर से बातचीत नहीं होती है।

**50—** प्रकरण में विनोद अ.सा.02 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 04 में स्वीकृत किया गया है कि वह परिवादी के ससुराल ग्राम नारना कई बार गया है और उसे मोहल्ले पड़ोसवालों ने कभी भी बहन के साथ किसी घटना के बारे में नहीं बताया है। परिवादी की माता मनियाबाई अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ज्यादातर मायके में ही रहना पसंद करती थी और वह लोग येतलाल को घर जवाई बनाकर रखना चाहते थे तथा उक्त हेतु ही उन्होंने आरोपीगण के विरुद्ध सलाह-मशविरा कर रिपोर्ट की थी। उक्त तथ्य को परिवादी यशवंता अ.सा.01 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 08 में की गई स्वीकृति से बल मिलता है कि आरोपी येतलाल इकलौता लड़का है, जो कहता था कि वह उनसे अलग नहीं रहेगा।

**51—** उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई है, अपितु संपूर्ण प्रकरण विचार-विमर्शित शिकायत का परिणाम है। फलतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी श्रीमती यशवंता मेरावी से दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक एवं

मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्वक व्यवहार किया। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

52- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

53- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

54- प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं।

उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु  
श्रेणी / विधिक उपयोग